मिसल नम्बर 53 / 2022
निर्णय दिनांक 18–08–2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विवेक कटारिया

मिसल नम्बर :– 53 / 2022

सरकार

बनाम

निखिल पुत्र श्री राजवीर व संतोष पत्नि श्री राजवीर जाति जाट निवासी ढ़ोसी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

....................गैर सायलान

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 18–08–2022

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायलान की ओर गैरसायलान का ताऊ जगमाल सिंह उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का ठाठवाड़ी के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम ढोसी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.01 है0** भूमि पर गैर सायलान **निखिल पुत्र श्री राजवीर व संतोष पत्नि श्री राजवीर जाति जाट निवासी ढ़ोसी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0** ने राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से **गवार की फसल कर व तार बन्दी कर** अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ठाठवाड़ी के गैर सायलान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायलान ने जबाब नोटिस मे कहा है कि उनके द्वारा कोंई नाजायज कब्जा नही किया है उक्त भूमि पर कोई रास्ता नही है। पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है तथा पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में रास्ता बताया है वहा रास्ता नही है वहा से पानी का धोरा जाता था। सबूत हेतु गैर सायलान द्वारा जमाबन्दी पेश की है। जिनमें ख0न0 580 गैर मुमकीन रास्ता अंकित है। इसके अतिरिक्त गैर सायला की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नही किये गये है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायलान **निखिल पुत्र श्री राजवीर व संतोष पत्नि श्री राजवीर जाति जाट निवासी ढ़ोसी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0** ने राजस्व ग्राम ढोसी स्थित राजकीय भूमि

मिसल नम्बर 53/2022
निर्णय दिनांक 18–08–2022

खसरा नम्बर 580 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.01 है0 भूमि पर गवार की फसल कर व तार बन्दी कर अनाधिकृत रूप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का ठाठवाड़ी की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ठाठवाड़ी के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम ढोसी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.01 है0** भूमि पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायलान से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का ठाठवाड़ी से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायलान की **राजस्व ग्राम ढोसी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्ब[र]** **राजस्व ग्राम ढ़ोसी** स्थित **580 रकबा 0.80 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रकबा 0.01 है0** भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ठ[ाठवाड़ी] नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक कटारिया)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी